भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1740

सोमवार, 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक)

प्रवासी श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक लाभों पर अध्ययन

1740. एडवोकेट ए. एम. आरिफ:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि केरल में अनुमानित दैनिक मजदूरी, राष्ट्रीय अनुमान के दोगुने से भी अधिक है और यदि हां, तो देश में अनुमानित दैनिक मजदूरी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने इस तत्थ का संज्ञान लिया है कि देश में उच्चतम दैनिक मजदूरी के कारण बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक केरल आ रहे हैं और यदि हां, तो इन प्रवासी श्रमिकों की संख्या सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के संज्ञान में यह है कि अनेकों प्रवासी श्रमिक अपने बच्चों को बेहतर शैक्षणिक अवसरों के कारण अपने परिवार को केरल ला रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इरादा आर्थिक और सामाजिक लाभ हेतु केरल राज्य में होने वाले प्रवास का अध्ययन करा कर तदनुसार राज्य की सहायता करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): वर्ष 2021-22 में केरल राज्य में सामान्य कृषि मजदूरों और गैर-कृषि मजदूरों के लिए वार्षिक औसत दैनिक मजदूरी दर क्रमशः 736.31 रु. और 684.90 रु. है।

एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कामगारों का प्रवास एक सतत प्रक्रिया है और प्रवासी कामगार काम की तलाश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते रहते हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, देश में अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों की कुल संख्या 4,14,22,917 है, जिनमें से 7,13,934 प्रवासी कामगार केरल राज्य में हैं।

*****